we take proper care at the time of the appointment that proper persons are selected.

So, I would plead with the House and also with Shri Ramavatar Shastri with folded hands as he pleaded with me with folded hands, to withdraw his opposition and to support the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.14 hrs.

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH):

Mr. Chairman, I beg to move:

"That the Bill to amend the Disturbed Areas Special Courts) Act, 1976, be taken into consideration."

Under the provisions of the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976 the State Governments are empowered to declare any area within a State where there has been extensive disturbance of the public peace and tranquillity by reason of differences or disputes between members of different religious, racial, language or regional groups or castes or communities as 'disturbed area and for purpose of providing speedy trial of scheduled offences committed in such areas constitute special courts.

Communal and caste disturbances that have occurred in various parts of the country indicate disturbing trends causing anxiety and so there is need to take suitable additional measures for countering them.

It has been observed that the State Governments have in the past few years availed of the provisions of the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976 though there have been cases of communal, caste and other type of riots, some of them very serious and protracted. While law and order is a State subject, the overall responsibility for the well-being of the citizens in the country continues to be that of the Centre. To handle all serious disturbances, besides appropriate administrative action, a very important factor is speedy trial of cases related to these disturbances so that the offenders are promptly brought to book, thereby restoring a sense of confidence amongst the victims, as also avoiding continuance of tensions on account of protracted trials of cases. It has been the general experience that the State Governments generally prefer to withdraw all such cases on the ground that purpose of communal or caste harmony will not be served by continuing with the prosecutions: this defeats the basic objective of administration and in many instances, the trouble-makers and offenders get away scot-free.

Towards this end, the Central Government may occasionally have to step in and it is necessary that the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976 should be amended to confer concurrent powers on the Central Government to declare the area where extensive disturbances have taken place as 'disturbed area' under the Act and to enable them to constitute Special Courts under the Act.

I am sure the House will consider the Bill in this light and pass the same.

*Mooved with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976, be taken into consideration."

Shri Satyasadhan Chakraborty to move his amendment.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1981."

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Mr. Chairman, Sir, I do not know whether you have been able to get an opportunity to go through the provisions of this Bill or even the parent Bill. Otherwise, I am sure, we would have had very pertinent comments from the Chair which would have made the Minister realise the grave implication of the Bill which he is now piloting.

MR. CHAIRMAN: I am sure you have had more than ample time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I will make my humble submissions hoping very sincerely that you very kindly add to that by your profound observations from the Chair.

This Bill is an attempt to perpetuate a legislation which was purported to be sanctified by the emergency—what I say so-called emergency that was declared in 1975, but now with more and greater sinister motive behind it apart from rank partisan political motive which has, no doubt, prompted this Government to bring forward this Bill.

This piece of legislation seeks to authorise the Central Government to usurp both legislative and executive powers of the State Governments where they have been given exclusive authority under the Constitution. On the plea of providing speedy trial of certain types of offences, what is now being done? The authority of the State Government is sought to be arrogated to the Central Government. This Bill is a direct attack on even the concept of quasi federalism that we have in our country. It is admitted that we have no real federal structure but only quasi-federalism. It is being described by some as an apology of federalism; some describe it as quasi-federalism and some say attempted fasion of unitary and federal system supposedly fulfilling the requirements of our national perspective. Many things have been said, but we may use a common phrase like quasi-federalism and that is under direct attack. But, apart from that political aspect, to which I shall come, with your permission, a little later in greater detail, what I wish to emphasize has been said by very many hon. Members at the time when this Bill was sought to be introduced in this House.

The hon. Home Minister had quoted certain articles of the Constitution at the time of the introduction stage. He quoted entries 2 and II-A of the Concurrent List and also, in the agony of the moment, I do not know who prompted him, he led him self to article 355 of the Constitution. This type of emergency legislation shows that at least the Home Minister requires some emergency coaching on some basic constitutional principles. That is the difficulty. The Consitution is the biggest victim in the hands of the Government and this incompetent set of Ministers.

What is the pith and substance of this Bill? The pith and substance is a judicial terminology which Shri Venkatasubbaiah understands, I am sure and, in a sense, it is good that today he has not got to explain to his senior colleague all the time. The pith and substance of this Bill is not merely setting up of a court of law. During the Emergency, by the Forty-second Amendment of the Constitution, certain powers were taken from the exclusive State List to the Concurrent List, and one of them is setting up of judicial authority or body,

other than the High Courts and the Supreme Court, because that only Parliament can do. Now the real object, if it had been so, that was sought to be achieved by the parent Act, was to give power to the State Governments to declare an area to be a disturbed area and for the purpose of trial of certain types of offences mentioned in the Schedule, and to authorise the State Government to constitute the special courts. The Judges were to be appointed by the State Government on the nomination or selection by the High Court.

Now the whole pith and substance of the law is being changed. What was the exclusive power of the State Government to declare an area to be a disturbed area earlier, now the Central Government by its ipse dixit can declare any area to be a disturbed area in any State. What is a disturbed area, which should be a disturbed area, whether the nature of the disturbance in a particular State requires it to be declared a disturbed area should be left exclusively to the agency and the constitutional authority, which is solely responsible for the maintenance of law and order and public order in that area, namely, the State Government. At least a lip service has been paid, and token recognition has been made in the Statement of Objects and Reasons and in the Minister's introductory speech. Up to that limited extent we are thankful that you have given at least that minimum recognition. But there is something more, which is being adumbrated here, which is nothing but a constitutional howler. What is it? Although law and order is a State subject, they say "the overall responsibility continues to be that of the Centre". Overall responsibility with regard to what?

PROF. N. G. RANGA (Guntur): With regard to minority disturbances.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: With regard to what? It is very very important. This is the Parliament of India. This is the highest legislative organ of the country. Let some of the issues be discussed which have far-reaching consequences, which have far-reaching importance, not on the basis of mere political or temporary political gains or for partisan purposes. After all, these are powers relating to different organs set up by the Constitution after a good deal of deliberation. You cannot just tinker with it to suit your present objective or by way of gimmickry. These are matters which have to be approached with a good deal of seriousness considering not only the year 1981, but for the future generations also. This institution, let us hope, will survive and will strengthen as days go by, but let us not with the object of finding out scapegoats do away with certain basic postulates of our constitutional set up, the very basis of the organic law which is the Constitution in this country, namely, that law and order has been left to the State Governments. On the plea that the overall responsibility with regard to law and order matter is supposedly of the Centre, if you can disturb any area, any State without any obligation, without any accountability as such of the Centre, then the Centre gets the entire authority.

Sir, I submit that the pith and substance of this legislation is not the mere constitution of a court. The real object. of this legislation is to acquire on behalf of the Central Government, that means the Ruling Party here, a power to deal with Governments which they may not like in States where they have not got the popular support. That is how they want to enter there, interfere there and create, if possible, difficult situations for the State Governments in that area.

Sir, I submit that so far as the original Bill itself is concerned, it was also an Emergency aberration.

[Shri Somnath Chatterjee]

Although it was initiated in 1972 supposedly on the basis of the National Integration Council's recommendation, it took a different shape and in 1976 it was put through, and I do not know, but for Article 353 of the Constitution of India, not Article 355—do not get yourself misled like your senior. As you know, Article 353 gives power to Parliament to legislate during the Emergency on subjects which are beyond List I and List II. As there has been no recourse to this law, hardly there has been any challenge. There is no challenge I say subject to correction. Article 355 deals with executive power, it has nothing to do with the legislative power. Article 355 gives certain executive powers to Central Government to do certain things or direct the States to do certain things. It has nothing to do with the legislative power. It does not give legislative competence. Therefore, what was trotted out by Mr. Zail Singh the other day was nothing but what is completely contrary to the constitutional provision.

Sir, I submit that what is being sought to be done, apart from being politically wrong, is a constitutional impropriety—what is not permitted by the Constitution of India—and I hope it is challenged and once it is challenged I know what fate it will meet with.

Let us come to the real objective behind this Bill. Where is the urgent necessity for this Bill? Why is the Central Government assuming this power? The plea and the justification put forward is that although the State Governments had power to set up special courts, they had not utilised them.

This Government which promises to work and to govern well at least on posters held elections and acquired complete powers from almost 3rd or 4th week of June, 1980, if I am not mistaken, in the Northern States where the communal incidents are taking place today. These States are Bihar, Uttar Pradesh...

PROF. N. G. RANGA: Marathwada.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Whatever name you give, whatever the States are. I am obliged to Prof. Ranga these are Congress-I ruled States.

PROF. N. G. RANGA: Does not matter.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I know it does not matter.

PROF. N. G. RANGA: Therefore, there are no politics there.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I will come to politics which you will immediately understand.

(Interruptions)

In these Congress-I States, the Chief Ministers are nominated by the President of the Party. It is their internal affair. We don't mind. These Chief Ministers spend most of their time in Delhi and they even carry cart-loads of files to Delhi. Is it conceivable that these Chief Ministers will not carry out the wishes of the ruling party at the Centre to appoint special courts?

Why only in these States should there be the recurrence or resurgence of communal incidents?

In 1979, when the Janata rule was there, there were 304 incidents of communial riots, in which 261 were killed and 2,079 were injured. Now, with the supposedly abler administration provided by Mr. Venkatasubbaiah's Ministry, there were 421 incidents in 1980 in which 372 people were killed and 2,891 injured.

16.33 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

You are excelling the Janata's performance in every sphere!

We are happy to know anyway that the Prime Minister has found time at least to go to Biharsharif. Now what is happening in Biharsharif? What has happened in Moradabad? What prevented your Chief Minister in Uttar Pradesh from appointing special courts? What prevented the Chief Minister in Bihar to appoint special court under the existing law? What prevents any Congress-I Chief Minister in any Congress-I ruled State to appoint a special courts?

We do not know what is going to happen to this country if there is no real political will to find out the real causes of the riots and if there is no proper administrative will to contain the riots and if there is no change in the socio-economic conditions of the country.

Moradabad has been discussed many times in this House I have no time to go into the causes and details of it.

What is happening in Biharsharif today and in so many other places like Aligarh etc?

On the plea of having so-called over-all responsibility of the law and order situation in this country today, the Centre is taking upon itself the power which the Constitution has exclusively reserved to the State Governments.

The objective behind it is clear. (*Interruptions*) People are not fools.

Now, the object is only this. They are completely alienated from the people and they are trying to get the power to declare any area a disturbed area. What they did in West Bengal on the 3rd April, instead of being ashamed, instead of a single word of condemnation from the Party, would they call it a 'disturbance' within the meaning of this Act? If they call it a disturbance within the meaning of this Act, there will be no protection either of the State Government or of the people of the State.

Now, what is the original Act? The National Integration Council only contemplated, only recommended, that, with a view to check the communal riots—nothing else was said there—with a view to controlling the communal riots, it was necessary that some sort of speedy trial of offenders should be held; for that purpose, some sort of Special Courts could be constituted. When the Bill came in 1972 and was ultimately passed in 1976, instead of communal rioting, it has covered everything under the Sun; nothing is left out; on the plea that there are disputes among members of different religions, different racial or language or regional groups or castes or communities, they can declare any area to be a disturbed area. I would like the hon. Minister to tell this country, from 1976 how many riots, according to them, have taken place and according to these different types of riots they have contemplated, how many Special Courts were set up. And may I ask the hon. Minister in all humility, if there is no change in the procedure to be followed for criminal trials, how only Special Courts will help—because the time-consuming procedure is there. And can it be said with any sense of responsibility that, where there is a communal conflagration where a large number of persons will be involved, he will have only one person to be tried? A large number of persons have necessarily to be tried if you want to set up salutary examples, so that such communal tensions do not take place. Therefore, the real object is this. When this Bill is being brought,

[Shri Somnath Chatterjee]

the plea is that they have got the overall responsibility. I submit that, if the ruling Party at the Centre, which is now ruling most of the States in this country unfortunately, had really wanted it, they could have taken recourse to the existing law without disturbing the States' powers; if the object was really to contain communal rioting and tension or fissiparous tendencies among the people, they could have done it with the existing law. But they want to take power for the Centre so that where they do not rule directly they could go in there. Now, as you know, invoking article 352 is not that easy—on internal disturbance. These are different methods of introducing an Emergency atmosphere in this country and trying to interfere with the State Governments where they have no legs to stand on.

Therefore, I oppose this Bill on the ground of unconstitutionality; it is a politically motivated Bill, it is an anti-people Bill; and it will even strike, very substantially, at the root of the very minimal federal principles that we have in this conutry.

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेआली, मैं ने श्री सोमनाथ चटर्जी की स्पीच को बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा है कि कांस्टीट्यूशन के बेसिस पर वे ऐसा कहते हैं कि सेन्टर का ला एण्ड आर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वे यह समझते हैं कि ला एण्ड आर्डर के मामले में सेन्टर की कोई रेस्पोन्सीबिलिटी नहीं है तो फिर 12 बजते ही ये सब मुखालिफ धड़े के लोग खड़े होकर क्यों शोर मचाते हैं और उस वक्त यह कहते हैं कि यहां पर इस पर डिस्कशन हो। यहां पर मुरादाबाद में डिस्टर्बेंसिज पर डिस्कशन हुआ और दूसरी जगहों के बारे में डिस्कशन हुआ। अगर ला एण्ड आर्डर की सेन्टर की रेस्पोंसीबिलिटी नहीं है, तो फिर यहां पर क्यों डिस्कशन करते रहे और क्यों वक्त जाया करते रहे। बात यह है कि इन्होंने सिर्फ विधान का प्वाइन्ट सामने रखा है फिर चाहें कांग्रेस की गवर्नमेंट्स हों या दूसरी गवर्नमेंट्स हों, तो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक ला एण्ड आर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पोंसीबिलिटी है और इसलिए सेन्टर मदाखलत नहीं कर सकता। कांस्टीट्यूशन की नजर में किसी पार्टी का गवर्नमेंट हो, **स्टेट गवर्नमेण्ट इज ए स्टेट गवर्नमेण्ट** और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसमें पार्टी में फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट हो और अगर कोई चीफ़ मिनिस्टर अपने कांस्टीट्यूशनल राइट्स के अन्दर उस स्टेट में उसकी गवर्नमेंट और वहां की जो रूलिंग पार्टी है नहीं चाहते कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करे, तो फिर चाहे कांग्रेस य किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जब तक आप पासके लीगल पावर्स न हों या जो एक्ट बना हुआ है उसमें एमेंडमेंट न हो, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदाखलत कर नहीं सकती। अगर इस कासेप्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि कांस्टीट्यूशनली मदाखलत नहीं हो सकती, तो फिर आप 12 बजे उठ कर क्यों शोर मचाने लगते हो। इसमें कोई लाजिक है ? अगर रेस्पोन्सीबिलिटी है तो उसको डिस्चार्ज करना है। बाकी सवाल यह रह गया है कि कान्करेन्ट पावर्स क्या हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ड कान्करन्ट पावर में आता है। इसी प्रकार क्रिमीनल ला कान्करेन्ट पावर्स में है कौन-कौन सी पावर्स दोनों की हैं, उसका जवाब तो हमारे मिनिस्टर साहब देंगे। जो रेलेवेन्ट एन्ट्रीज हैं, उन को वे बता देंगे। स्पेशल कोर्टस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उसका फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुकी है ; मगर मैं एक पालीटीकल बात कहना चाहता हूं कि हम को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिये और एक तरीके से ही हम

कार्मों को एप्रोच करना चाहिए । अगर आप ऐसा करते, तो मैं आपसे इत्तिफ़ाक करता । एक बात जो आप को ठीक लगे, जिसको आप ठीक समझते हैं, वह हर वक्त ठीक है । मेरा कहना यह है कि एक स्पूयाइन्ट पर ही आपको ज़ोर देना चाहिए, उसमें लाजिक होनी चाहिए और हर जगह पर उस पर ही ज़ोर देना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि पालिटिक्स में फ़र्क यह हो सकता है कि प्राब्लम्स को सोल्व करने के लिए, आप की एप्रोच एक हो सकती है और हमारी एप्रोच दूसरी हो सकती है। उसमें डिफ़ेंस आफ़ ओपोनियन रहना चाहिए। मगर आप की जो एप्रोच है, वह, बिल्कुल ही गलत है । एक तरफ एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ़ दूसरी बात कहते हैं । आपके पड़ोस में शास्त्री जी बैठते हैं, वे इस समय यहां पर नहीं हैं, वे आथोरिटेरियनइज्म की बात कह रहे थे । अगर आप लोगों की बात मान ली जाती है, तो ठीक है और अगर आप की बात न चले, तो वह आथोरिटेरियनइज्म है । हवाई जहाज का सेबोटेज हुआ और यहां पर एक दिन सभी ने कहा कि यह बुरी बात हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए मगर दो ही दिन में आपकी राय उलटी हो गई । इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता । अब किस वक्त एक्शन लेना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए, इसमें डिफ़ेन्स आफ़ ओपोनियन हो सकता है, मगर हवाई जहाज में खराबी की गई, उसका इन्टेंशन प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाने का था, प्राइम मिनिस्टर की जानी नुकसान पहुंचाने का था या नहीं, यह एक दूसरी बात है, मगर एक बड़े हवाई जहाज को तबाह किया गया, सेबोटेज का एक्ट हुआ इस से तो इन्कार नहीं हो सकता उस की इंक्वायरी हो रही है, और इस वक्त उस के डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है । किसी ने अगर एम्पलोईज की ओर उस के खिलाफ कम्पनी एक्शन ले रही है, तो उस के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहिए । अभी यहां पर यह कहा गया था कि आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के जो डाइरेक्टर हैं, कमीशन के जो मेम्बर हैं, उन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिये । अगर वे कोई ऐसी बातें करते हैं जो गवर्नमेंट को पसन्द न हों तो भी उन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिये ? अगर एयर इंडिया के डाइरेक्टर ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो फिर आप क्यों उस पर डिस्कशन करते हैं । उन्होंने एक्शन लेना ठीक समझा, तो एक्शन लिया । अगर वे अफ़सर कोर्ट में जाना चाहें, तो जाएं । वहां उन की सुनवाई हो जाएगी । मैं समझता हूं कि सब से बड़ी तकलीफ़ की बात और दुखदाई बात यह है कि आप के समय एक बात कहते हैं दूसरी बार दूसरी बात । अगर मुल्क में कोई कांस्टीच्युशनल प्राब्लम है तो उसको सही तरीके से सार्ट आउट करें न कि इस तरह से शोर मचायें जिस का न सर हो और नहीं पैर । यह अप्रोच ठीक नहीं है । यहां पर जब कभी सुप्रीम कोर्ट का मसला आता है या किसी दूसरी अदालत का तो ऐसे ढंग से पेश किया जाता है जिससे यह मालूम हो कि कोर्ट सिर्फ मुखालिफ लोगों के लिए हैं और कोर्ट को सिर्फ इनका ही सहारा है । इस ढंग से पेश करना न हमारे लिए अच्छा है न अपोजिशन में बैठने वाले लोगों के लिए । जिस तरीके से सारी बातें पेश की जाती हैं उनसे सारा परपज डिफीट हो जाता है । इस से कोर्टस की पोजिशन भी खराब हो जाती है, आप की पोजिशन भी खराब हो जाती है । हमें उनके बारे में

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

यहां अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए। इस तरह से बात करके न तो हम अपने कांस्टोच्युशन को बचा सकते हैं और न अपनी जुडीशियल कोर्टस को वे लोग बना सकते हैं। अगर हमें इसी गलत तरीके से फैक्टस को डिस्टोर्ट करना है तो कैसे हम आगे चल सकेंगे और मुल्क और कांस्टोच्युशन को बचा सकेंगे।

यह जो बिल आया है, यह इंसान को बचाने के लिए, फिरके दौराना फसादात को रोकने के लिए आया है। इस में हम सब को मिल कर काम करना है तभी रेशल और फिरकेदाराना दंगों को हम रोक पायेंगे। अगर किसी प्रदेश गवर्नमेंट के नीचे, चाहे वह कांग्रेस की हो, या किसी और पार्टी की हो, उसके प्रदेश में अगर सेन्टर यह समझता है कि वहां स्पेशल कोर्टस होनी चाहिए, तो वे हाई कोर्ट बनाएगी। जो अख्तियारात हाई कोर्टस के हैं वही उसके होंगे। फिर उनमें इन्टरफोयरेंस कहां से होगा? इन्टरफोयरेंस तो उसी वक्त होती है जबकि स्टेट गवर्नमेंट दंगे कराने में दिलचस्पी ले। वरना किसी बात में भी स्पेशल कोर्ट के काम में इन्टरफियरेंस नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह सही मसला है और हम खाहमखाह इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसका जो असली मकसद हम सामने नहीं लाये हैं। जरा सोचिये कि इन्टरनेशनल हालात में किस कदर खराबी आ रही है, किस कदर बुरे हालात पैदा हो रहे हैं, किस कदर वर्तमान माहौल खराब हो रहा है, इस महौल में हमारे यहां क्या खराबी पैदा हो सकती है, उसके बारे में हम सोचें और यह सोचें कि किस तरह से हमें अपने मुल्क को बचाना है। हम जो एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, यह अप्रोच ठीक नहीं है। हमारी कंस्ट्रक्टिव और पोजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और उसी ढंग से अपनी राय को सामने लाना चाहिए। यह लाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। यह कभी नहीं होगा कि माइनोरिटी की राय मेजोरिटी पर थोप दी जाए। मेजोरिटी के सामने आप अपनी राय रख सकते हैं, और इस तरह से उस पर गौर हो सकता है। मगर शोर मचाने से नहीं हो सकता।

इसलिए मैं कहता हूं कि यह बिल तो जरूरी है और इस मसले को और उलझाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें कोई खामियां हैं तो उनको सोर्ट आउट किया जाना चाहिए। कांस्टीच्युशन के मुताबिक, विधान के मुताबिक हमें उन्हें सोर्ट आउट करना चाहिए। यह यहां पर भी हो सकता है और आगे जा कर भी सोर्ट आउट कर सकते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि इन हालात में सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ न करे और बैठी देखती रहे। अगर यह भी न हो तो क्या आप आल्टरनेटिव चाहते हैं वह तो आपने बताया ही नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एमर्जेन्सी का नाम लेकर आप एमर्जेन्सी को पापुलर करते हैं क्योंकि जो गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है, कत्ल हो रहा है वह तो एमर्जेन्सी को ही पसंद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि एमर्जेन्सी नहीं लगे तो आपको इस आइडिया, को कुबूल करना चाहिए, न कि आपको एमर्जेंसी का नाम लेकर शोर मचाना चाहिए।

इसलिए मैं इस बिल की ताईद करूंगा और कहूंगा कि अगर किसी

राज्य में फसादात होते हैं और वहां स्पेशल कोर्ट बने, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दखलन्दाजी नहीं होगी, वे तो हाई कोर्ट का बनानी हैं । इस तरह से मैं इस बिल की ताईद करता हूं और इस अल्फाज के साथ अपनी तकरीर समाप्त करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Shri Jagpal Singh. (*Interruptions*)

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): This Bill assures that West Bengal will not be declared as a disturbed area unless you create some trouble there.

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि जब-जब माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का शासन इस देश पर होता है, तभी तभी यहां के संविधान और राज्यों के अधिकारों पर बराबर चोट की जाती है सन 1975 को इमर्जेंसी के जरिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संसद के सामने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के सामने एक नक्शा रखा है कि वे पावर के सेंट्रलाइजशन में कितना विश्वास रखती हैं ।

अभी इस बिल से पहले यहां पर जो बिल डिसकस हो रहा था, ओ०एन०जी०सी० का अमेंडमेंट, इसमें पूरे विरोध-पक्ष का खयाल था कि वर्किंग क्लासेस को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, ट्रेड यूनियन्स एक्टीविटीज में इंटरविन मत कीजिये । हमारा कहना था कि मुल्क के लोगों को स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार है लेकिन वह अमेंडमेंट भी पास हुआ इसके पास होने से हिन्दुस्तान के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, वे मुहैया नहीं होंगे । जिनको ओ० एन० जी० सी में रहकर नौकरी की गारंटी नहीं होगी, वे यहां पर क्यों रहेंगे ? दूसरा बिल भी दुर्भाग्य से हमारे सामने आया है । इस बिल के इंट्रोडक्शन के समय भी मैंने इसका विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूं ।

संविधान में जो राज्यों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें आप क्यों दखल दे रहे हैं । 1976 में भी हमको नीयत पर शक था और आज भी नीयत पर शक है । पूरे मुल्क के सामने यह शक सामने आएगा । मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त वे यह बिल ला रहे हैं, उस वक्त दो चार प्रदेशों को छोड़ कर सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का ही राज है और जहां-जहां कम्युनल राइट्स हुए हैं या जाति-गत झगड़े हुए हैं, उन प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी का ही शासन है । चाहे उत्तर-प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या बिहार हो, इन प्रदेशों में सांप्रदायिक और जातिगत झगड़े हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने प्रदेशों की राज्य सरकारों पर दबाव देकर स्पेशल कोर्टस क्यों नहीं बनवाए और अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो उन सरकारों को बरखास्त क्यों नहीं किया गया, जबकि केन्द्र सरकार को यह अधिकार है ?

वे तथाकथित सांप्रदायिक झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े थे ही नहीं । आपके दूरदर्शन, रेडियो और आपके मंत्रियों ने उन्हें सांप्रदयिक झगड़े बताया, पर वे सांप्रदायिक झगड़े नहीं थे, मुरादाबाद में आपकी पुलिस और मुस्लिम भाइयों के बीच झगड़ा था तब भी आपकी प्रचार मशीनों ने उसको सांप्रदायिक झगड़ा बना दिया ।

इन झगड़ों के आधार पर यह जो बिल ला रहे हैं, इसका मैं विरोध करता

[श्री जगपाल सिंह]

हूं। जब वे सांप्रदायिक झगड़े थे ही नहीं तो इस बिल के ऐम्स और ओब्जेक्ट्स में जो बातें दर्शाई गई है, उनका मैं विरोध करता हूं। मुरादाबाद में आपने स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बैठाया? श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह वहां पर आपके मुख्य मंत्री मौजूद थे, उनको कह कर आपने स्पेशल कोर्ट क्यों स्थापित नहीं करवाया। माया त्यागी कांड के बारे में हिन्दुस्तान के दो-दो भूतपूर्व प्रधान मंत्री, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने कहा कि वहां पर पुलिस ने गलती की है और ज्यूडिशियल इन्क्वारी होनी चाहिए। आपने पुलिस के बचाव के लिए कोई इन्क्वायरी नहीं की। जब 60 हजार पब्लिक जेल गई तब ज्यूडिशियल इन्क्वारी बिठाई गई और उसमें वही साबित हुआ जो भूतपूर्व प्रधान-मंत्रियों ने कहा था।

मैं इस बात को चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री के दिमाग में जम्हूरियत का कोई नया ही कॅसप्ट है। संविधान बनाने वालों का प्रजातंत्र में विश्वास था। आज भी इंग्लैंड में भूतपूर्व प्रधान मंत्री यदि कोई बात कह देता है कि कहीं पर पुलिस ज्यादती हुई है तो मौजूदा प्रधान मंत्री की हिम्मत नहीं होती है कि वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री की बात को टाल दे।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित नहीं करने देती तो आप किस तरह से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करेंगे। यह बात इस बिल में साफ नहीं है अगर प्रदेश की सरकार सिफारिश नहीं करती है तो सन्ट्ल गवर्नमेंट उस ऐरिया को कैसे डिस्टर्ब्ड ऐरिया घोषित करेगी। प्रदेश की सरकार अगर चाहती है लेकिन केन्द्र नहीं चाहता है तब भी कस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकता है केन्द्रीय सूची राज्यकीय सूची और समवर्ती सूची को लेकर एक झगड़ा खड़ा हो सकता है। इंट्रोडक्ट्री स्टेज पर मैंने कहा था कि इस बिल को आप वापिस ले लें और अगर आप वापिस नहीं लेते है तो प्रजा-तंत्र के लिए एक खतरा खड़ा हो जाएगा, राज्यों और केन्द्र के अधिकारों को लेकर एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा।

भारत में जम्हूरियत फेल हो चुकी है इस प्रश्न को लेकर मुख्य मंत्री बहस चला रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जम्हूरियत के ऊपर नए सिरे से विचार होना चाहिये। ऐसे समय पर आप इस बिल को ला रहे हैं। इससे शंका पैदा होती है कि जम्हूरियत को खत्म करने की दिशा की ओर आप बढ़ रहे हैं। इस वास्ते इसको आप वापिस लें। ऐसा नहीं किया जाएगा तो हिन्दुस्तान के लोगों के सामने फिर से 1975 वाला, एमरजेंसी वाला नक्शा आकर खड़ा हो जाएगा। रूलिंग पार्टी के सदस्यों की मजबूरी है। वे इसका विरोध नहीं कर सकते हैं लेकिन हम अपोजीशन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून का जो मकसद है वह बिल्कुल साफ नहीं है।

गुजरात के अन्दर जातिगत झगड़े हुए, पंद्रह सोलह सौ हरिजनों के घरों में घुस कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसकी तरफ प्रधान मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, केन्द्रीय सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कोई ज्यूडिशल इनक्वायरी या स्पेशल कोर्ट की बात सामने नहीं आई, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुरादाबाद के झगड़ों पर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बिठाई। बिहार में साठ सत्तर लोगों की आंखें फोड़ दी गईं और उस पर भी स्पेशल कोर्ट बिठाने की बात नहीं

की। भारत के लोग जानते हैं कि आप राजनीतिक मकसदों की पूर्ति के लिए इस बिल को ला रहे हैं। इस वास्ते मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल को लेकर आप राज्यों के अधिकारों में दखलंदाजी कर रहे हैं। संविधान बनाने वालों ने तीनों कार्य सूचियां अलग-अलग रखी हैं। आपने उनमें इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया है। मैं किसी मंत्री की इंटेंशन पर शक नहीं करता हूं। उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता। गृह मंत्री हों या राज्य गृह मंत्री या और कोई मंत्री, हो सकता है वे अपने को कम्पीटेंट या सावरेन न समझते हों। लेकिन प्रधान मंत्री ने जब बहस चला दी है देश में कि हिन्दुस्तान की जम्हूरियत पर दुबारा विचार होना चाहिये, ऐसे मौके पर यह कानून लाया जा रहा है और इसी से यह शंका पैदा होती है कि आप जम्हूरियत को खत्म करना चाहते है। ओ० एन० जी० सी० का मामला हुआ है। हिन्दुस्तान के जो कमजोर, एजुकेशनली, सोशली दृष्टियों से बैकवर्ड लोग हैं जिन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, उसको लेकर झगड़ा हुआ है, मारकाट हुई है, लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, घर फूंक दिए गए हैं, उनका अनाज, कपड़ा, लत्ता, चारा आदि सब फूंक दिया गया है। जम्हूरियत पर बहस चलवाने में आपकी सरकार के मंत्री, आपकी मशीनरी दोनों शामिल है। दोनों के खिलाफ अभी तक आपकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इन सब चीजों से एक शंका पैदा हो रही है और वह सही भी है, तथ्यों पर आधारित भी है और वह यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से इस मुल्क में एमरजेंसी लाने की तैयारी कर रही हैं, आप हिन्दुस्तान के लोगों की स्वतंत्रता छीनने जा रहे हैं, ज्यूडिशरी की स्वतंत्रता छीनने जा रहे हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी में एक गुण और है। वह भी ज्यूडिशरी में विश्वास नहीं करती हैं। ज्यूडिशरी की ज्यादा से ज्यादा पावर्ज को छीन कर लैजिस्लेशन के द्वारा एग्जैक्टिव को देने में विश्वास रखती है।

आप राजनीतिक उद्देश्यों से इस बिल को लाए हैं, यह साफ है। इसका मैं विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको आप वापिस लें ताकि लोगों के अन्दर जो शंका है कि जम्हूरियत संकट में पड़ सकती है, वह खत्म हो सके।

17.00 hrs.

MOTION RE: MODIFICATIONS IN NOTIFICATION REGARDING INDIAN TELEGRAPHS (4TH AMENDMENT) RULES

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up item No. 13 of the List of Business. Mr. R. K. Mhalgi may move his Motion.

SHRI R. K. MHALGI (Thane): I beg to move:

"That this House resolves that in pursuance of sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the following modifications be made in the Notification regarding Indian Telegraphs (4th Amendment) Rules, 1980, published in the Gazette of India by Notification No. G.S.R. 492(E) dated the 27th August, 1980 and laid on the Table of the